

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने की शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

■ लखित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए सख्त निर्देश, लापरवाही वस्तुन पर कार्रवाई की चेतावनी

बेमतरा/नवप्रदेश। जिले में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लखित प्रकरणों के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने आज कलेक्टर सम्मेलन में समय-समया की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विस्तृत बैठक में दिए

गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा की और विभागाध्यक्ष प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनारक्षक विवेक बर्तन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को मैदान स्तर पर सक्रिय रहकर योजनाओं की निष्पत्ति मॉनिटरिंग करने



तथा हितग्राहियों से सीधे संपर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रथम क्रित प्राप्त हितग्राहियों के आवासों का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण करारक नियमानुसार द्वितीय एवं तृतीय क्रित जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही लंबे समय से अपूर्ण पड़े आवासों को चिन्हित कर उक्त शीघ्र पूर्ण होने की कार्ययोजना बनाने के

निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कर्ड बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया। महतारी बंदन योजना तथा बुढ़ावस्था, विधवा संहित विभिन्न

योजनावार की गई गहन समीक्षा बैठक में केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की स्थिति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों को प्रथम क्रित जारी हो चुकी है, उनके आवास निर्माण को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लखित ई-कैवाईड एवं भूमि सत्यपन के कार्य को अभियान चलकर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य को प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।

न्यूज गैलरी

वंदेमातरम का अपनान कर कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता पर प्रहार किया है: रंजना धमतरा/नवप्रदेश।

भारत माता के वंदना गीत 'वंदे मातरम' के अग्रगण्य को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सीनिया गौरी, मिश्राजुन खड्गे और खुल्ले गौरी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। श्रीमती साहू ने कहा कि 'वंदे मातरम' किसी एक गीत नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और हर भारतीय की जान है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इसका अपमान करना देश की आत्मा का अपमान है। ऐसे कृत्य से न केवल देशभक्त जनता अस्वस्थ हुई है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी खतरा उत्पन्न है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी स्वयं को देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की तथ्यावधि बना करती रहती है, आज उसी पार्टी के नेता राष्ट्र के सम्मान का अपमान कर रहे हैं। यह कांग्रेस की दोहरी नीति और चेज बैक की राजनीति को दर्शाता है।

कलेक्टर ने कलेक्टरों में किया ध्वजारोहण

राजनांदगांव/नवप्रदेश। कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर आज कलेक्टरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कलेक्टर ने राष्ट्रता महामाया श्री, सविधाना महामाया साहजि जी, माधव आम्बरजुन एवं छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकाननाएं दीं। कलेक्टर ने इस दौरान कलेक्टरों के साथ कार्यालय में जिला कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर आर कलेक्टर श्री सीलम माकण्डेय, आर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

पुलिस अधीक्षक अकिता शर्मा ने पुलिस कार्यालय में किया ध्वजारोहण

राजनांदगांव/नवप्रदेश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव



में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह, उमंग एवं हौशिया के साथ गतिमान वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अकिता शर्मा (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राधेर, नगर पुलिस अधीक्षक ध्यानी लाल (भा.पु.से.), डीएसपी के.पी. मरकान, सायबर थाना, डीएसपी, डीसीओ/नक्सल सेल, दुर्घटना शाखा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिले में अब तक 440.6 मिमी. औसत वर्षा दर्ज

बेमतरा/नवप्रदेश। चाबू बाबू साहजि के दौरान बेमतरा जिले में 01 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 प्रतिनिधित्व हितक तक की स्थिति में संयंत्रे 8.00 बजे तक जिले में 440.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक कुल वर्षा तहसील बरतन में 566.2 मि.मी. तथा नुनतुम 307 मि.मी. वर्षा तथा नुनतुल तहसील में दर्ज की गई है। संयंत्र किल कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमतरा तहसील में 361 मि.मी. वर्षा, देवकर तहसील में 374 मि.मी. वर्षा, धाखुलतहसील तहसील में 528 मि.मी. व बिभीरी तहसील में 494.7 मि.मी., साना तहसील में 473.5 मि.मी.वर्षा, दांडी तहसील में 412 मि.मी. वर्षा एवं नांदगांव तहसील में 448.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वक्तव्य पर कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण : गौरव मगर

धमतरा/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 'दिमागी नक्सल' जैसे गंभीर विषय को अपने भाषण में लिया जिसका और अन्य विपक्षी नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे हिंसा और अराजकता फैलाने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ स्पष्ट रूप से खड़े हैं या नहीं। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद का अधिकार सभी को है, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता से सम्बंधित किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश का युवा राष्ट्रपति, सविधान, लोकतंत्र के अधिकार से जुड़े तथा सोपान मॉडिफाई एवं सर्वजनिक जीवन में सिंह जी जैसे देशभक्त को इस विषय से जोड़ दिया

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

जिले में सुगम यातायात और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त

लैक स्पॉट सुधार के लिए निर्देश

बेमतरा/नवप्रदेश। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी निगरान, यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई एवं पुलिस अधीक्षक श्री जिलेक बंसल ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, लोक निर्माण विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, नेशनल हाइवे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सुगम यातायात व्यवस्था बनाने पर विशेष जोर

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि जिले में बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रशासन के साथ नागरिकों का सकरात्मक सहयोग भी आवश्यक है।



दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जिलेक बंसल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जनजागरूकता के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने जित में पिछले तीन माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की विस्ती की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे गति से चलन चलना, शराब के नशे में वाहन चलाना, हेल्मेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना तथा गलत रिफ्ले में वाहन चलना प्रमुख कारण हैं।

उन्होंने शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड तथा स्कूल-कॉलेजों के सामने से पारिंग जौन को सखी से लागू करने के निर्देश दिए। अवैध पारिंग के विरुद्ध नगर पालिका एवं पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सभी स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में स्पीड ब्रेकर, स्कूल आगे है- संकेतक बोर्ड तथा ट्रिफिक वॉल्टेज पर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्कूल बसें की चिकित्सक जांच एवं चालकों के सत्यपन को अनिवार्य करने के साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

चिन्हित ब्लैक स्पॉट का होगा सुधार

बैठक में जिले के दुर्घटना समिति ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर आवश्यक सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क अच मणों पर सिवा घुमावदार मोड़ों एवं बिना सिगनल वाले चौराहों की पहचान कर वहां रेल सिग्न, रेडिगम एवं वेतानेनी संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए

सचन जांच अभियान चलाने काह गया। भारी वाहनों में ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।

स्कूल-कॉलेजों में होगे जागरूकता कार्यक्रम

सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूल-कॉलेजों में कारगरता आयाज करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा नुकड़ नाटक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से 'सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा' संदेश आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

नई प्रथाओं की शुरुआत कर मनाया गया आजादी का पर्व



नगरी/नवप्रदेश। नगरी से जेस सिंगपुर, भरलरलो में आजादी के सप्ते कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। एस. एम.डी.सी.,ग्राम पंचायत एवम पालकों की उपस्थिति में प्रभात पौरी ग्राम भ्रमण, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन परम्परािक रूप से सम्पन्न हुआ। इसमें अतिरिक्त एम.एम.डी., ग्राम पंचायत के सदस्य तथा पालकों ने कम्युनिटी किचन के संचालन का सम्पन्न लेकर विद्यालय में नवाचार को प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रचारकों के आग्रह पर पालकों ने इस बात को भली भाँति समझा कि विद्यालय केवल बच्चों के पढ़ने का केंद्र मात्र नहीं है बल्कि यह सम्प्रे समुदाय के उत्सव का केंद्र है जैसा कि एम.डी.पी. में जखेरिया गया है। अतः विद्यालय को जन चेतना को बढ़ाने हेतु कम्युनिटी किचन के माध्यम से पूरे पालकों को विद्यालय से जोड़ने का काम किया जाएगा। पालक आग्रह बच्चे का स्वतः दिन स्वयम का स्वतः दिन वैचारिक एवं गैर, प्रियजन की स्मृति में होने वाले कार्यक्रम को विद्यालय में आकर

मनाएंगे।कम्युनिटी किचन के माध्यम से बच्चों को नेवता भीन,सहजीन करने का कार्य सतत चलने। ऐसा करने के पीछे मकसद यह है कि विद्यालय एवम समुदाय के बीच मजबूत रिश्ता बना रहे। कम्युनिटी किचन के माध्यम से आम पालकों के लिए शैक्षिक, गोष्ठी,सर्वा परिचर,सेमिनार का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खासकर आदिवासी बच्चे तकनीकी शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। इस खाई को पटने के लिए पालकों ने विद्यालय को दो कम्यूटर सेट भेंट किया ताकि उक्त बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा मिल सके। पालकों ने नवाचारी प्रयास के अंतर्गत विद्यालय की सतत मॉनिटरिंग,बच्चों का मूल्यांकन एवं चर्च में बच्चों की पृष्ठ लिखाई पर निगरानी रखने के लिए सक्रिय शिक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करने का निश्चय लिया। संकेत तैनीय योजना को प्रमोवी बनाने के लिए सैकड़ पालकों ने दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर कार्य को सफल किया।

स्वतंत्रता दिवस पर बटनहर्षा में देशभक्ति गीतों और नारों के माध्यम से दिया एकता-अखंडता का संदेश

नगरी/नवप्रदेश।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला बटनहर्षा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हौशिया, उत्साह एवं देशभक्ति के वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधान पाठक टुकेधर प्रसाद शेर ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, पालकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवाहियों ने सामूहिक रूप से प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान के साथ युवा लाल साहू, सविधान, ग्राम पंचायत बटनहर्षा उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत हेमताल कुमारा मुला बंधू साहू सेवकी यादव एवं नुनतुमरा देव ग्राम प्रमुख साहू, नुनतुमरा देव ग्राम पटेल मोहन नेताम एवं ग्राम कोटधर परधुमन बंधेल उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभा नेताम जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमिक-4, जनपद पंचायत नगरी तथा श्रीमती अनिता



मरकम जी, सरचं, ग्राम पंचायत बटनहर्षा विशेष अतिथि के रूप में श्री गौरव साहू, उत्सवपति तथा युवा लाल साहू, सविधान, ग्राम पंचायत बटनहर्षा उपस्थित रहे। एवं सह-संरक्षक श्री युवराज साहू जी सहित समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। अन्य गामयन नगरपालों की श्री दयाराम नाराजी जी, श्री अमरचंद देवी एवं सुश्री गीता यादव जी उपस्थित रहे। अंतर्गत प्रेमजी फर्कडेन से कुमारी योगेश्वरी साहू जी को भी कार्यक्रम में उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत, भाषण, कविता, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों एवं ग्रामवाहियों का उत्साह बढ़ाया।

नगर निगम में स्वतंत्रता दिवस समारोह महापौर मधुसूदन ने किया ध्वजारोहण

गौरव स्थल में की गयी पुष्पांजलि

राजनांदगांव/नवप्रदेश।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में महापौर श्री मधुसूदन यादव द्वारा प्रातः 7:30 बजे नगर निगम केन्द्रीय कार्यालय टाऊनहाल में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष श्री टोपेन्द्र सिंह पारस वर्मा, नेता प्रतिपक्ष श्री संतोष सिंह, निगम आयुक्त श्री जी.आर. मरकम एवं पूर्व महापौर श्री अजीत जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। महापौर द्वारा निगम पदाधिकारियों की उपस्थिति में टाऊन हाल में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा गौरव स्थल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की गयी।

नगर निगम टाऊन हाल



महापौर श्री यादव ने 80वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस आजादी के प्रातः के लिए जिन लोगों ने देश में शहादत दिए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारा देश उत्तरांचल देश के ऐसे कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज हम शहर के लोगों को बहादुर से सुविधा देने अनेक यतीवलों को ईमानदारी की उपस्थिति में टाऊन हाल में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके अलावा गौरव स्थल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की गयी।

नगर निगम टाऊन हाल

कार्रवाई रमिदावटी व अमानक मिठाइयों, भ्रामक लेबलिंग और प्रतिवर्षित डेयरी एनालॉज के विरुद्ध होगी कार्रवाई 23 अगस्त तक चलेगा 'बने खावो- बने रहवो' विशेष अभियान



बेमतरा/नवप्रदेश। खाबन्धन एवं के स्टेशनर आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेशभर में 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक सख्त दिवसीय 'बने खावो- बने रहवो' 2.0.0 संस्करण खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान निम्नलिखित, अमानक, मिश्रण एवं अशुद्धि निर्माण के निषेध एवं विकल्प पर प्रभावी निगरान के साथ-साथ 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित जनपद अधिनियम के अनुसार प्रतिक्रिया अमानकित उत्पादों पर एनालॉज अथवा 'गैर-दुध' किंतु 'दुध-उत्पन्न-सदृश' खाद्य पदार्थों को पेश करने के निर्देश दिए।

इन प्रतिष्ठानों पर रहेगा विशेष फोकस अभियान के दौरान विशेष रूप से मिठाई एवं केक-ब्रेड्स की शीट विक्रेताओं, हितरको एवं आजीवनिकी, मीठानी एवं अस्थायी मिठाई निर्माताओं, ग्रामीण एवं छोटे बाजारों के मिठाई विक्रेताओं, होटल, रेस्तरां, दान एवं स्ट्रीट फूड प्रतिक्रिया की जाव की जाएगी। बिना लेबल अथवा भ्रामक माल/लेबल के साथ अथवा इन्फोर्मेटिव की शीटों के बिना बिना वाली डिब्बाबंद मिठाइयों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।

उन्में दुध/दुध घटकों के स्थान पर बनसपति तेल, बनसपति वसा अथवा अन्य गैर-दुध अयव्यों का उपयोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक तौर में लेबल वाले उत्पादों के विकल्प के नाम से बेच जा रहा है, जबकि के छोटें दुकानदारों को यह मिठाई बेचने है। ग्रामीणजन एवं बच्चे फिस्स में एक या दो रूप में उपभोग किया गया हो। यदि गैर-दुध उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो लाभ प्रदायकों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्थायिक त

cmky

कार्टून

7 तक और बढ़ेगी महंगाई

..पहले कौन सी कम है जो बढ़ेगी ?

A cartoon illustration featuring two men in a conversation. The man on the left, with dark hair and glasses, is wearing a pink shirt and a blue tie. He is gesturing with his right hand while speaking. The man on the right, with red hair, is wearing a yellow shirt and a blue tie. He is looking at the first man with a questioning expression. A speech bubble from the man on the right contains the text: "7 तक और बढ़ेगी महंगाई" (Inflation will increase up to 7 more). Another speech bubble from the man on the left contains the text: "कार्टून" (Cartoon). A third speech bubble, containing the text "7 तक और बढ़ेगी महंगाई", is positioned above the man on the right. A small starburst graphic is visible near the man on the right. The background is a simple light blue sky with a few clouds.

प्रदेशवासियों को साइबर फ्राइड के विरुद्ध सुरक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2026 तक पूरे प्रदेश में 07 सप्ताह का «साइबर जागृति अभियान» चलाया जा रहा है। अभियान के तय कार्यक्रम के अनुसार, पहले सप्ताह में डिजिटल सतर्कता और बुनियादी सुरक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों में अभियान चलाया जा रहा है।

प्रति समाज में जागरूकता बढ़ा
गी। बस्तर की लोकप्रपासों और
नीय सांस्कृतिक विरासत के
को भी विशेष महत्व दिया
गा। भी संरक्षण एवं भी सेवा व
पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल
और प्रकृति के प्रति सामाजिक
चेतना को लेकर जनभागीदार
प्रति गतिविधियाँ संचालित कर
येगी। बस्तर जिला टीम
भी ? साहू, जिला अध्यक्ष रा
जिला अध्यक्ष डिंपू सिंह, भी
कचरा इमरान सचिव भी रीड
री ईशान मिस्त्री को जिम्मेदारी
। जगदलपुर नगर टीम में नगर
अध्यक्ष दिलेश जोशी, नगर भी विज
नगर अध्यक्ष लखी राम कश्यप
नगर कार्यकर्ता अश्वश्रम बघेरे
अध्यक्ष सौभाग्य गैया है।

स्थित रिकॉर्ड रूम की स्थिति को समीक्षा की तथा अपर कलेक्टर जिला रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु कहा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्चना कुमारी अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी शुक्रवार को जिला की जनपद पंचायत पुष्कराजगढ़ की ग्राम पंचायत अफिया में मुख्यमंत्री जयशंकर प्रसाद अफिया के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जाएगा।

बागद्वार/नवप्रदेश: ग्राम पंचायत सरहर के शासकीय प्राथमिक, मिडिल एवं हाई स्कूल में स्वरूपक से सरहर सरचरप पब्लिकनाथ पण्डित के द्वारा पञ्चरात्रोत्पादिका गया एवं ग्राम पंचायत कार्यपालन में भी सरचरप पब्लिकनाथ पण्डित ने पञ्चरात्रोत्पाद कर नगरी के लोगों को संबोधित किया। शासकीय स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरचरप पब्लिकनाथ पण्डित (संतोष महाराज) थे, जिनके अतिथ्य में राष्ट्रपान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के हजारों छात्रों को सम्मानित किया गया। इन अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र व ग्रामीण मौजूद थे।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में गाँजा ओडिशा के मलकानगिरी से कहाँ से लाया गया था और राजस्थान में किसे सप्लाई किया जाना था। तस्करों के नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

[illegible]

+



आओ मिलकर प्रतिज्ञा करें,
स्वस्थ भारत, समर्थ भारत का निर्माण करें।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

स्वस्थ नागरिक
समर्थ भारत की पहचान,
स्वास्थ्य सेवा और
समर्थन से देश
विकसित भारत बनेगा।

स्वस्थ नागरिक
स्वस्थ परिवार
स्वस्थ भारत

विनीत, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक
दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर (छ.ग.)

स्वास्थ्य विभाग, दंतेवाड़ा (छ.ग.)

स्वास्थ्य की दृष्टि से, देश को सुरक्षित
है स्वस्थता का ही अर्थ।

15 अगस्त

की
हार्दिक शुभकामनाएं

सुरक्षित वातावरण, सुगम परिवहन
विकसित भारत का अभिमान

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

जिला परिवहन अधिकारी
परिवहन विभाग, दंतेवाड़ा (छ.ग.)

आओ मिलकर प्रण लें,
स्वस्थ भारत, समर्थ भारत का निर्माण करें।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

स्वस्थ नागरिक,
स्वस्थ समाज,
स्वस्थ राष्ट्र
ही है
विकसित भारत की पहचान।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
स्वास्थ्य विभाग दंतेवाड़ा (छ.ग.)

सहायक आयुक्त
आदिम जाति कल्याण विभाग
दंतेवाड़ा

की ओर से मिलेवासीयों को

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं!

शिक्षा, सुरक्षा
स्वास्थ्य और
सामाजिक
जनजातीय समाज
का समर्थ विकास
हमारा लक्ष्य।

जनजातीय समाज के उत्थान से ही राष्ट्र का सच्चा विकास संभव है।

स्वास्थ्य सेवाओं के वीरगण से
मिली है आशा, इसे बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं...

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

विनीत - जनपद पंचायत दंतेवाड़ा

जिला आबकारी अधिकारी
आबकारी विभाग, दंतेवाड़ा

की ओर से समस्त जिला वासियों को

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं!

शराब छोड़ें,
परिवार जोड़ें
नशा त्यागें,
जीवन संवर्धन

आइए, हम सब मिलकर नशामुक्त भारत का निर्माण करें और स्वतंत्रता के इस पर्व को सार्थक बनाएं।

आओ मिलकर संकल्प लें,
भारत को विकसित और समर्थ बनाएं।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं!

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग दंतेवाड़ा

युवा शक्ति - राष्ट्र शक्ति
खेल से स्वस्थ युवा, स्वस्थ युवा से समर्थ भारत।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

जिला खेल अधिकारी
एवं युवा कल्याण विभाग
दंतेवाड़ा (छ.ग.)

समर्पण उन वीरों का, जिनकी वजह से हम आजाद हैं,
आओ मिलकर करें देश का, और भी अधिक विकास है।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला शिक्षण समन्वयक
राज्यीय पाठ्य शिक्षा विभाग, दंतेवाड़ा

आजादी के उत्सव

स्वतंत्रता दिवस

की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
दंतेवाड़ा को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात
भाजपा सरकार के वजेट 2026-27 में नए मेडिकल
कॉलेज के संचालन हेतु वजटीय प्रावधान,
अब बस्तर में मेजबूत होगी स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा।

केदार कश्यप

युवा शक्ति - राष्ट्र शक्ति
खेल से स्वस्थ युवा, स्वस्थ युवा से समर्थ भारत।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की
हार्दिक शुभकामनाएं

एक भारत • श्रेष्ठ भारत • आत्मनिर्भर भारत

जिला खेल अधिकारी
एवं युवा कल्याण विभाग
दंतेवाड़ा (छ.ग.)

से सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष भी बिलासपुर पुलिस को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष दो राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलना जिले की पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार एससी-एसटी अत्याचार से संबंधित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई, वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विवेचना, आरोपियों के खिलफ़ प्रामाण्य वैधानिक कार्रवाई और पीड़ितों को संख्यता उपलब्ध कराके के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कराने में प्रशासनिक सुविधा होगी।

स्वाध्यायिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक प्रधान संपादक यशवंत दोष्टे द्वारा, मिनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा. लि. शेड नंबर 74, सेक्टर-मी, उला इंडस्ट्रीयल एरिया रायपुर, से मुद्रित कर सुभा मार्केट कॉम्प्लेक्स, अग्रसेन चौक, बिलासपुर से प्रकाशित, RNI NO. CHH/IN/2015/62341, संपादक-चन्द्रशेखर दोष्टे *, स्थानीय संपादक-विक्रम सिंह लखुर, समाचार संपादक-संजीव दीवान, फोन नंबर : 07752-468654, navpradeshbilasapur01@gmail.com